विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तरः-

प्रश्न		उत्तर
6-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के लेटर हेड संख्या क-54801 को स्कैन/कॉपी करके दिनांक 27/09/2023 के पत्र एवं इससे पूर्व/पश्चात भी कोई फर्जी हस्ताक्षर युक्त पत्र कब कब प्राप्त हुए है एवं उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई है?		मा0 सदस्य, विधान परिषद के लेटर हेड संख्या क-54801 के कुल 02 पत्र प्राप्त हुए हैं। मा0 सदस्य, विधान परिषद के लेटर हेड संख्या क-54801 दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से मा0 सदस्य द्वारा जनपद लखीमपुर-खीरी के विकास खण्ड-पलिया में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास कार्य हेतु (सबप्लान) योजनान्तर्गत ग्राम-सरियापारा, छेदियापुरा, निहोटा एवं सोनहा में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 को बदलकर यू0पी0 सिडको नामित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 1477.06 लाख यू0पी0 सिडको को आवंटित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 09.11.2023 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को जॉच कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के अतिरिक्त मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 के लेटर हेड संख्या क-54801 पर ही जनवरी 2024 में संख्या एवं दिनांक रहित 01 पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-पलिया के ग्राम नगला, बसही कालोनी, पटुआ, बेलाकला में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 को बदलकर यू0पी0 सिडको नामित किये जाने तथा अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को जॉच कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा मौखिक रूप से यह अवगत कराया गया कि उक्त पत्र उनके कार्यालय से जारी नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्य के उपरिसंदर्भित फर्जी पत्रों के क्रम में कार्यदायी संस्था बदलने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मा0 सदस्य, विधान परिषद यदि, चाहें तो इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर सकते हैं।
(ख) क्या प्रश्नकर्ता के लेटर हेड संख्या क-54801 को स्कैन/कॉपी कर दूरूपयोग किए जाने के सन्दर्भ में आपकों लिखें शिकायती पत्र-पंत्राक सं0-13/BJPUP/2024 दिनांक 23/01/2024 एवं प्रमुख सचिव, समाज		मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-33/BJPUP/2024, दिनांक 15.02.2024 (लेटर हेड संख्या-क-नं0-048174) का पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के क्रम में विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन से जॉच करायी गयी।

कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन को लिखे विस्तृत शिकायती पत्र सं0 33/BJPUP/ 2024 दिनांक 15/02/2024 (लेटर हेड संख्या-क-नं0-048174) प्राप्त हुए है एवं उपरोक्त पत्रों पर आपके विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?		मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 के प्राप्त पत्रों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही की गयी है।
(ग) क्या उपरोक्त लेटर हेड के दुरूपयोग से संबधित शिकायत पर कोई कार्यवाही करेंगे ?		मा0 सदस्य, विधान परिषद के नाम का दुरूपयोग हुआ है तो, उनके स्तर से इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
(घ) यदि हॉ, तो कब तक?		उपरोक्तानुसार।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों?		प्रश्न नहीं उठता।

Signed by Asim Arun
Date: 28-07-2024 16:00:29

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)